कार्यालय जिला पंचायत, कानपुर देहात

ई–निविदा सूचना

पत्रांक : 135 / निर्माण / जि0पं0 / 2026–27 **दिनांक : 27 अप्रैल, 2026**

समस्त जिला पंचायतों के पंजीकृत ठेकेदार एवं राज्य सरकार के सिचाईं विभाग व लोक निर्माण विभाग के पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि पंचम राज्य वित्त आयोग व पन्द्रहवां वित्त आयोग अनुदान से स्वीकृत कुल 04 निर्माण कार्यों की ई–निविदा प्रपत्र ई–टेण्डरिंग पोर्टल http://www.etender.up.nic.in पर दिनांक 06 मई, 2026 अपरान्ह 03:00 बजे से दिनांक 25 मई, 2026 को सांय 05.00 बजे तक उपलब्ध रहेगा। दिनांक 25 मई, 2026 को सांय 05.00 बजे तक या उससे पूर्व ई–टेण्डरिंग पोर्टल http://www.etender.up.nic.in पर बिड को अपलोड किया जा सकता है तथा दिनांक 26 मई, 2026 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से कार्यालय जिला पंचायत में निविदा समिति के समक्ष तकनीकी बिड खोली जायेगी। तकनीकी बिड वैध होने पर ही वित्तीय बिड खोली जायेगी। निविदा शुल्क शिड्यूल्ड बैंक की डी0डी0 जो कि अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत कानपुर देहात के पक्ष मे होगा, के रूप में भुगतान करना होगा। प्रत्येक कार्य की निविदा के साथ पृथक–पृथक दो प्रतिशत अग्रिम धरोहर धनराशि, जो कि शिड्यूल्ड बैंक द्वारा निर्गत एफ0डी0आर0 के रूप में होगा तथा अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत कानपुर देहात के पक्ष में बन्धक होगा। निविदा शुल्क जिला पंचायत कानपुर देहात के जिलानिधि खाता संख्या– 50176930205 इण्डियन बैंक शाखा माती, कानपुर देहात आई0एफ0एस0सी0 कोड–प्फ्ठ000 ।553 में त्र्ळै के माध्यम से भी जमा किया जा सकता है। जिलानिधि में जमा की गयी निविदा शुल्क की धनराशि के ट्रांजेक्शन नम्बर को निविदा के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। ई–निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख / निविदा शुल्क / अग्रिम धरोहर धनराशि आदि की मूल प्रति 28 मई, 2026 को कार्यालय जिला पंचायत, कानपुर देहात में प्रस्तुत किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में निविदादाता के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी तथा उसका पंजीयन निरस्त कर डिवार / ब्लैक लिस्ट की कार्यवाही की जायेगी। किसी भी निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी में निहित होगा। ई–निविदा से सम्बन्धित नियम एवं शर्तें तथा कार्यों से सम्बन्धित समस्त विवरण ई–टेण्डरिंग पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगी एवं इसकी जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। उक्त ई–निविदा से सम्बन्धित समस्त सूचना जनपद की वेबसाइट http://www.kanpurdehat.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

क्र0 सं0	विकास खण्ड	परियोजना का नाम व विवरण	निविदा धनराशि (रू0 में)	अग्रिम धरोहर धनराशि (रू0 में)	निविदा प्रपत्र मूल्य (रू0 में)	ठेकेदार की श्रेणी	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डेरापुर	ग्राम सैफाबाद में आदर्श सरोवर निर्माण कार्य	1795990	35920	3179	A,B	06 माह
2	मैथा	ग्राम करोम से असनीपुरवा सम्पर्क मार्ग पर अवशेष भाग पर खण्डजा कार्य	153600	3072	272	A,B	03 माह
3	झींझक	ग्राम बनीपारा महाराज कल्याणीपुरवा में आदर्श सरोवर निर्माण कार्य	1737626	34753	3076	A,B,C	06 माह
4	अकबरपुर	ग्राम निरजन में रामू के घर से गजोधर के खेत तक नाला निर्माण कार्य	633889	12678	1122	A,B,C,D	03 माह

निविदा की शर्तें / अनुदेश निम्नवत् है–

1. पंचायतीराज अनुभाग–2 के पत्र संख्या–1488 / 33–2–2020 दिनांक 24 जुलाई, 2020 के साथ संलग्न अधिसूचना संख्या 1425 / 33–2–2020–80जी–2000 दिनांक 14 जुलाई, 2020 के स्तम्भ दो के अनुसार समस्त जिला पंचायतों में रजिस्ट्रीकृत ठेकेदारों के अतिरिक्त राज्य सरकार के सिचाईं विभाग, लोक निर्माण विभाग में रजिस्ट्रीकृत ठेकेदार भी जिला पंचायतों की निविदा में भाग लेने के लिये पात्र होगें।
2. पंचायतीराज अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 5596बी / 33–2–93–69जी / 93 दिनांक 01 नवम्बर, 1993 के द्वारा जिला परिषद के पदाधिकारियों, सदस्यों,
3. प्रमुख सचिव श्रम विभाग के शासनादेश संख्या 746 / 36–2 / 2014 दिनांक 07 जून, 2014 के क्रम में अनुबन्ध के उपरान्त कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व श्रम विभाग में श्रमिकों का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
4. शासनादेश संख्या 1791 / 33–2–2020–198जी / 2018 दिनांक 07 सितम्बर, 2020 के द्वारा निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड्स खोले जाने के उपरान्त सफल निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख एवं निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि सम्बन्धी डिमान्ड ड्राफ्ट्स / प्रतिभूत प्रमाण–पत्र मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदादाता के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए तथा उसका पंजीयन निरस्त कर काली सूची में डालने की कार्यवाही भी जाएगी।
5. टैक्निकल एंव फाईनेशियल बिड के रूप में पृथक–पृथक अपलोड कराना होगा।
6. टेक्निकल बिड में निविदा शुल्क, अग्रिम धरोहर धनराशि, चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, ठेकेदारी पंजीकरण / नवीनीकरण प्रमाण पत्र, श्रम विभाग से निर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा निर्धारित प्रारूप पर स्वघोषित शपथ पत्र की स्कैन कापी संलग्न करना होगा।
7. फाइनेंशियल बिड में बिल आफ क्वांटिटी होगी। बिल आफ क्वांटिटी की दर प्रतिशत में अंकित करना अनिवार्य हेागा।
8. निविदा शुल्क दिनांक 25.05.2026 से 60 दिन आगे के दिवस तक वैद्य होना चाहिए।
9. अपराधिक रिकार्ड के निविदादाता का निविदा में प्रतिभाग करना प्रतिबन्धित है।
10. उ0प्र0 लोक निर्माण एवं सिचाई विभाग में पंजीकृत ठेकेदार का किसी विशिष्ट कार्य में टेण्डर दर न्यूनतम होने की दशा में वित्तीय बिड स्वीकृति दिनांक से तीन दिवस की अवधि में जिला पंचायत की शर्तो के अधीन ठेकेदार से जिला पंचायत में रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनार्थ अपेक्षित रजिस्ट्रीकरण शुल्क रू0– 10000.00 जमा करना होगा। कार्यालय पत्रांक 1324 / निर्माण / जि0पं0 / 2024–25 दिनांक 17 मार्च, 2025 के द्वारा ठेकेदार की श्रेणी का निर्धारण किया जायेगा।
11. निर्माण कार्यों में सामग्री परीक्षण में गुणवत्ता संतोषजनक पाये जाने पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
12. जिला पंचायत, लो0नि0वि0 तथा सिंचाई विभाग के ठेकेदारों का पंजीकरण जिला पंचायत, कानपुर देहात के नियम व शर्तों के अनुसार किया जायेगा।

(अनिल कुमार मिश्रा)	(सुरेश कुमार)	(नीरज रानी)
अभियन्ता	अपर मुख्य अधिकारी	अध्यक्ष
जिला पंचायत, कानपुर देहात	जिला पंचायत, कानपुर देहात	जिला पंचायत, कानपुर देहात

<u>कार्यालय जिला पंचायत, कानपुर देहात</u>

पृष्ठांकन : 135 / निर्माण / जि0पं0 / 2026–27 **दिनांक– 27 अप्रैल, 2026**

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1 जिलाधिकारी महोदय, कानपुर देहात।
2 मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कानपुर देहात।
3 अधिशाषी अभियन्ता, लो0नि0वि0, प्रान्तीय खण्ड, कानपुर देहात।
4 अधिशाषी अभियन्ता, लो0नि0वि0, निर्माण खण्ड, कानपुर देहात।
5 अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, कानपुर देहात।
6 अधिशाषी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, कानपुर देहात।
7 समस्त खण्ड विकास अधिकारी, कानपुर देहात।
8 वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, कानपुर देहात को निर्धारित तिथि पर टेण्डर कार्यवाही में उपस्थित रहने हेतु।
9 ई–टेण्डरिंग पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
10 जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, कानुपर देहात को जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11 जिला पंचायत, कानपुर देहात के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचनार्थ प्रेषित।
12 नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, कानपुर देहात

कार्यालय जिला पंचायत, कानपुर देहात

दिनांक : 17 मार्च, 2025

पत्रांक : 1324/निर्माण/जि0पं0/2024–25

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली–1984 तथा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुक्रम में जिला पंचायत कानपुर देहात के निर्माण कार्यों में ठेकेदारी हेतु वर्ष 2025–26 में पंजीकरण/नवीनीकरण के लिये दिनांक 15 अप्रैल, 2025 को सायं 05.00 बजे तक निर्धारित प्रारूप पर वांछित अभिलेखों की सत्यापित प्रतियां व पूर्ण विवरण युक्त हस्ताक्षरित आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार किया जाना संभव नही होगा। निर्धारित प्रारूप पर निम्नवत् नियम एवं शर्तों के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करना होगा–

1. वैध (अ) चरित्र प्रमाण पत्र (ब) हैसियत प्रमाण पत्र (स) जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. श्रमायुक्त कार्यालय में पंजीयन प्रमाण पत्र ,पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक की छायाप्रति तथा सत्यापित पासपोर्ट साइज का नवीनतम दो फोटोग्राफ।
3. आवेदन फार्म कार्यालय जिला पंचायत कानपुर देहात में धनराशि रू0 500.00 जमा करने के पश्चात निर्गत किया जायेगा तथा पंजीकरण/नवीनीकरण की सक्षम स्वीकृति के उपरान्त पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क रू0 10000.00 (दस हजार) जमा करना अनिवार्य है।
4. पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 6596बी0/33–2–93–69जी/93 दिनांक 01.11.1993 व उ0प्र0 जिला पंचायत सेवा नियमावली 1970 के नियम 54 में दी गयी परिभाषा (इस नियम के प्रयोजनों के लिये सम्बन्धी का तात्पर्य पिता, पितामहः स्वसुर, चाचा या मामा, पुत्र, पौत्र, दामाद, भाई, भतीजा या भांजा, सगा, चचेरा या ममेरा भाई, पत्नी का भाई और बहनोई, पति, पति का भाई, पति की बहन, पत्नी की बहन, पत्नी, पुत्री, पुत्र वधू, बहन, भाभी जो भाई या सगे चचेरे या ममेरे या ममेरे भाई की पत्नी हो, माता, सास, चाची या मामी से है) से सम्बन्धित व्यक्ति का आवेदन स्वीकार नही किया जायेगा।
5. आवेदन पत्र के साथ संलग्न नियत प्रारूप पर नोटरी द्वारा सत्यापित रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
6. दो या दो से अधिक साझेदारी वाली फर्म के नाम से पंजीकरण कराते समय फर्म के नाम का हैसियत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
7. ठेकेदारों को पंजीकरण/नवीनीकरण कराने हेतु निम्न विवरण के अनुसार हैसियत प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र तथा पंजीकरण जमानत की धनराशि एफ0डी0आर0, जो अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, कानपुर देहात के पक्ष में बन्धक हो, को प्रस्तुत करना होगा। निर्माण नियमावली की धारा 18 के अर्न्तगत ठेकेदारो का पंजीकरण/नवीनीकरण पूर्व में किए गये कार्य के गुण दोष के आधार पर किया जायेगा।

श्रेणी	कार्य क्षमता	न्यूनतम हैसियत	जमानत	अनुभव प्रमाण–पत्र
ए	असीमित	रू0 25.00 लाख	रू0 1.00 लाख	रू0 1.00 करोड़
बी	रू0 40.00 लाख तक	रू0 15.00 लाख	रू0 60.00 हजार	रू0 50.00 लाख
सी	रू0 20.00 लाख तक	रू0 10.00 लाख	रू0 40.00 हजार	रू0 20.00 लाख
डी	रू0 10.00 लाख तक	रू0 5.00 लाख	रू0 20.00 हजार	रू0 5.00 लाख

नोट– श्रेणी ए, बी व सी के लिये शासकीय कार्यदायी संस्था द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा एवं श्रेणी डी के लिये कार्यदायी संस्था अथवा किसी प्रतिष्ठित फर्म द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र मान्य हो सकता है।

8. पूर्व निष्पादित अनुबंध में निर्धारित अवधि के पश्चात् यदि बगैर किसी उचित कारण के कार्य अपूर्ण है तो नवीनीकरण पर विचार नही किया जायेगा।
9. आवश्यक अभिलेख न होने की दशा में किसी भी प्रकार का शपथ पत्र मान्य नही होगा एवं निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नही किया जायेगा।

ठेकेदारी पंजीकरण/नवीनीकरण से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में जिला पंचायत, कानपुर देहात से प्राप्त की जा सकती है।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, कानपुर देहात

(नीरज रानी)
अध्यक्ष
जिला पंचायत, कानपुर देहात

पृष्ठांकन : 1324/निर्माण/जि0पं0/2024–25 दिनांक : 17 मार्च, 2025

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 अध्यक्ष महोदया, जिला पंचायत, कानपुर देहात।
2. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर देहात।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदया, कानपुर देहात।
4. वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, कानपुर देहात।
5. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र आज व हिन्दुस्तान .... को इस आशय से कि उपरोक्त निविदा सूचना को अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में कम से कम स्थान (फॉन्ट साइज 8) में शासकीय दरों पर प्रकाशित कर बिल हेतु 2 प्रतियों में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
6. कार्यालय जिला पंचायत, कानपुर देहात के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

Signature Not Verified
Digitally signed by SURESH KUMAR VERMA
Date: 2026.05.06 11:04:36 IST
Location: Uttar Pradesh-UP

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, कानपुर देहात

O/C